

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित
प्रार्थी

श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
सर्वश्री सिल्वर टॉस रबर प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, 80 / 79, ई-1,
बॉस मण्डी, कानपुर।

प्रार्थना पत्र संख्या
प्रार्थी की ओर से

19 / 09, दिनांक 16.2.09
श्री स्वयंभव मनु।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-19 / 09, दिनांक 16.2.09 को प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं।

2. व्यापारी द्वारा उठाये गये प्रश्न निम्नवत हैं :-

1. फुटवियर जिनकी अधिकतम रिटेल प्राइस रु० 300/- से कम है जो मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर एवं हवाई चप्पल की श्रेणी में नहीं आते हैं, कर से मुक्त हैं अथवा नहीं ?

2. फुटवियर जो मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर एवं हवाई चप्पल की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा उनकी अधिकतम रिटेल प्राइस रु० 300/- से कम है, के प्रान्त बाहर से आयात करने पर फार्म-38 की आवश्यकता / अनिवार्यता है अथवा नहीं ?

3. वैट अधिनियम की अनुसूची-1 का क्रमांक-52 निम्नवत है :-

52	Footwear with maximum retail price of Rs. 300.00 or less excluding Moulded plastic footwear, hawai chappal and straps thereof.
----	--

4. व्यापारी की ओर से फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में लिखे तथ्यों को दोहराया गया और बताया गया कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले फुटवियर अनुसूची-1 के क्रमांक-52 में आने के कारण कर मुक्त होना चाहिए।

5. व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-4240, दिनांक 18.3.09 से असिस्टेंट कमिश्नर-12, वाणिज्य कर, कानपुर की आख्या संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

6. मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि यदि व्यापारी द्वारा मोल्डेड फुटवियर या हवाई चप्पल के अतिरिक्त रु० 300/- कम के जूते बेचे जाते हैं तो वह उपरोक्त अनुसूची-1 के क्रमांक-52 के अन्तर्गत कर मुक्त रहेंगे।

7. व्यापारी के द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि व्यापारी द्वारा कर मुक्त फुटवियर का आयात किया जाता है तो कर मुक्त माल के लिए फार्म-38 की आवश्यकता नहीं होगी।

8. तदनुसार व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

9. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23, सितम्बर, 2009



प्रमाणित प्रतिलिपि
23/9/09

ह० / 23.9.09

(अनिल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।